बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-07/2016.....29..... /पटना, दिनांक.....28/01/17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन),
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
परमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी),
पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सारण, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ एवं मुंगेर।
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण(छपरा), सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), प0 चम्पारण (बेतिया), सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बाँका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।

विषयः- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ, 2016 मौसम से लागू होने के फलस्वरुप जिला/पंचायत स्तरीय (अगहनी धान एवं गेहूँ फसल) फसल कटनी प्रयोग के आयोजन एवं सम्पादन के निमित व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना की स्वीकृति के फलस्वरुप अतिरिक्त राशि का आवंटन। कुल आवंटित राशि रु0 51631520/-(पाँच करोड़ सोलह लाख एकतीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के ज्ञापांक-1455 दिनांक 26.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8,33,00,000/-(आठ करोड़ तैतीस लाख) रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित फसल कटनी प्रयोग (अगहनी धान एवं गेहूँ फसल) संपादन हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में निदेशालय के आवंटनादेश संख्या-12 दिनांक 08.09.2016 द्वारा उप शीर्ष 0120 भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना शीर्ष के अन्तर्गत 31668480/-(तीन करोड़ सोलह लाख अड़सठ हजार चार सौ अस्सी) रुपये का आवंटन आदेश निर्गत किया गया। उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट में पूर्व से राशि का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण 50377000/-(पाँच करोड़ तीन लाख सतहत्तर हजार) रुपये का द्वितीय अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया था। जिस पर वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि का प्रावधान करते हुए अपने पत्रांक-9-15/BSG-279/2016-1211 दिनांक 15.12.2016 द्वारा व्यय की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त कंडिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- P/3454022040120 है।